भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 996

जिसका उत्तर शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

किसानों को उर्वरक राजसहायता का प्रत्यक्ष हस्तांतरण

996. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः
श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेलः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की उर्वरकों पर राजसहायता को सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में दंडात्मक प्रावधान क्या हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले को कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) वस्तु रूप में दिया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री उर्वरकों की खुदरा दुकान पर स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थी को की जाती है। लाभार्थी को की गई आधार प्रमाणीकृत बिक्री के आधार पर, उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है।

(ख): आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को कालाबाजारी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। कालाबाजारी के बारे में उर्वरक विभाग के स्तर पर मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है। तदनुसार राज्यों से प्राप्त सूचनानुसार, दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 28.11.2025 तक की अवधि हेतु कालाबाजारी और ऐसे अन्य कदाचारों के खिलाफ उनके द्वारा किए गए प्रवर्तन उपाय **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

(ग): उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दिनांक 03.12.2025 को स्टॉक की स्थिति **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

****

अनुलग्नक-I

यह अनुलग्नक दिनांक 05.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.996 के उत्तर के भाग (ख) से संबंधित है।

25 अप्रैल से 25 नवंबर तक संचयी विवरण (28.11.2025 तक)

अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 (दिनांक 28.11.2025) तक कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन को रोकने और गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

राज्य	निरीक्षणों/छापे की संख्या	कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन			विवरण सहित दोषसिद्धी *	कुल		
		जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई		जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	पंजीकृत एफआरआई
आंध्र प्रदेश	11181	5	3	9	10	6	3	83	0	0	7	2	3	शून्य	105	11	15
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
असम	3820	12	4	1	59	0	0	36	0	0	27	0	0	शून्य	134	4	1
बिहार	15499	1035	607	77	7	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	1042	607	77
छत्तीसगढ	6172	294	13	4	29	1	0	136	5	0	24	0	0	शून्य	483	19	4
दादरा और नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
दिल्ली	255	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	शून्य	3	3	1
गोवा	614	544	180	6	10	0	0	32	1	0	16	0	0	शून्य	602	181	6
गुजरात	12210	33	3	1	0	0	0	83	2	0	7	3	11	शून्य	123	8	12
हरियाणा	4693	49	5	7	18	18	4	48	10	5	13	5	6	शून्य	128	38	22
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	3694	142	44	2	31	2	0	55	0	0	8	0	0	शून्य	236	46	2
झारखंड	759	57	20	11	32	4	0	2	0	0	1	1	0	शून्य	92	25	11
कर्नाटक	7093	365	22	0	243	5	0	221	14	2	84	6	6	शून्य	913	47	8
केरल	1299	0	0	0	0	0	0	48	0	0	4	0	3	शून्य	52	0	3
मध्य प्रदेश	5581	0	0	72	0	0	0	606	44	4	631	160	15	शून्य	1237	204	91
महाराष्ट्र	44059	16	0	16	0	0	0	1155	1139	37	1	73	1	शून्य	1172	1212	54
मणिपुर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	शून्य	1	0	0
मेघालय	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
मिजोरम	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	शून्य	5	0	0
नागालैंड	72	14	0	14	0	0	0	101	0	0	2	64	1	शून्य	117	64	15
ओडिशा	7031	4	3	2	0	0	0	47	1	0	1966	107	3	शून्य	2017	111	5
पुदुचेरी	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
पंजाब	5617	37	1	1	20	0	1	192	65	3	0	0	4	शून्य	249	66	9
राजस्थान	11505	589	76	46	45	17	30	451	1	2	15	16	25	शून्य	1100	110	103
तमिलनाडु	18805	13	0	4	6	8	0	33	25	0	112	17	1	शून्य	164	50	5
तेलंगाना	115321	5	9	3	4	2	0	79	0	0	4	0	5	शून्य	92	11	8
त्रिपुरा	694	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	9	0	0
उत्तर प्रदेश	29401	2043	2742	165	164	139	8	141	130	12	88	7	12	3	2436	3018	197
उत्तराखंड	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	शून्य	43	0	0
पश्चिम बंगाल	33777	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	शून्य	259	0	0
कुल	340076	5258	3732	442	687	202	46	3811	1437	65	3058	464	96	3	12814	5835	649

* - प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण – मामलों की संख्या, एफआईआर का वर्ष और केस दर्ज करने का वर्ष और आदेश की तिथि

उपरोक्त डाटा राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संकलित किया गया है।

अनुलग्नक-।।

यह अनुलग्नक दिनांक 05.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.996 के उत्तर के भाग (ग) से संबंधित है।

दिनांक 3/12/2025 तक फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में आरंभिक स्टॉक (एमटी में)							
क्रम .सं	**उत्पाद**	**भण्डारण + रेक बिन्दु**	**थोक विक्रेता**	**खुदरा विक्रेता**	**मार्गस्थ (कंपनी द्वारा बिक्री) ***	**मार्गस्थ (थोक विक्रेता द्वारा बिक्री)**	**कुल**
1	यूरिया	1477.125	6195.165	10578.921	134.460	435.335	18821.006
2	डीएपी	1178.750	859.800	3559.935	.000	390.350	5988.835
3	एनपीकेएस	381.000	1621.175	4543.570	4.000	204.200	6753.945
4	एमओपी	.000	256.100	453.515	.000	8.900	718.515
5	एसएसपी	6.650	448.500	3363.174	25.000	185.500	4028.824
6	एफओएम	.000	37.250	24.100	10.000	.000	71.350
कुल		**3043.525**	**9417.990**	**22523.215**	**173.460**	**1224.285**	**36382.475**

******